

2025 404

सिपि  
04.08.2024

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
सत्यनारायण बनाम बलवंत आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 287 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
11.06.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">01</p> <p>वकुलार कलक्टर उपखण्ड/PU माहक रावतसर पत्रावली नं. 1 पत्रावली 25.06.2025 दिनांक 25.06.2025</p>	
25.6.2024	<p>वकील वादी द्वारा पत्रावली पत्र मिथल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिखा गया। वकुलार फरिक्कन इशारिह। वादी एवं प्रतिवादी एवं। ता 7 ने हाजिर अदालत आकर रजनीनामा पेश किया। रजनीनामा तल्बिड कर शामिल फरिक्कन किया गया। जखब ह्वर माफ्ट हुआ। पत्रावली वाले एहस इशारिह वाद 15.7.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">01</p> <p>वकुलार कलक्टर उपखण्ड/PU माहक रावतसर पत्रावली नं. 1 पत्रावली 25.06.2025 दिनांक 25.06.2025</p>	<p>210 सत्यनारायण 967m Dr 0 लदीर 2 लीराम 3 म दवौल का जना दुपकीर सूति</p>
15.7.2024	<p>वकुलार कलक्टर उपखण्ड/PU माहक रावतसर पत्रावली नं. 1 पत्रावली 25.06.2025 दिनांक 25.06.2025</p>	
4.8.2024	<p>वकुलार फरिक्कन इशारिह वाद सुनी गई। पत्रावली का अनुबोधन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध फरिक्कन वादी व वादी प्रतिवादी के राजनीनामा के आधार पर वाद वादी डिही किया जा रहा है। पूर्ण विवर सहित निर्णय अदालत के निर्णय आकर शामिल फरिक्कन किया जाके पत्रावली नम्बर के क्रम की आकर का तत्कीक तक भीतर जाकर दालिल एकरा हो।</p> <p style="text-align: center;">01</p>	<p>श्रीदत्त लाल</p>

